

**व्यापार की योजना**  
**आय सृजन गतिविधि - वर्मी-कम्पोस्ट**  
**द्वारा**  
**विष्णु - स्वयं सहायता समूह**



|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| एसएचजी/सीआईजी नाम | :: | विष्णु   |
| वीएफडीएस नाम      | :: | रामनी    |
| श्रेणी            | :: | भाभा नगर |
| विभाजन            | :: | किन्नौर  |

**इसके तहत तैयार:**



हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका में सुधार के लिए परियोजना (**जाईका** सहायता प्राप्त)

## विषयसूची

| क्रम सं. | विवरण                                      | पृष्ठ/पृष्ठ |
|----------|--------------------------------------------|-------------|
| 1        | पृष्ठभूमि                                  | 3-4         |
| 2        | एसएचजी/सीआईजी का विवरण                     | 4-5         |
| 3        | लाभार्थियों का विवरण                       | 5           |
| 4        | गांव का भौगोलिक विवरण                      | 6           |
| 5        | आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण | 6           |
| 6        | उत्पादन प्रक्रियाएं                        | 6-7         |
| 7        | उत्पादन योजना                              | 7           |
| 8        | बिक्री और विपणन                            | 7           |
| 9        | स्वोट अनालिसिस                             | 8           |
| 10       | सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण            | 8           |
| 11       | अर्थशास्त्र का विवरण                       | 9-10-11     |
| 12       | आर्थिक विश्लेषण का निष्कर्ष                | 12          |
| 13       | निधि की आवश्यकता                           | 12          |
| 14       | निधि के स्रोत                              | 12-13       |
| 15       | पी बैंक ऋण चुकौती                          | 13          |
| 16       | प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन       | 13          |
| 17       | निगरानी विधि                               | 13          |
| 18       | समूह सदस्य फोटो                            | 14-15       |

## 1. पृष्ठभूमि

जैविक खेती को बढ़ावा देने में वर्मीकल्चर एक महत्वपूर्ण घटक है और हिमाचल प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर वर्मीकम्पोस्ट के निर्माण पर विशेष प्रोत्साहन दे रही है। वर्मीकम्पोस्टिंग प्रक्रिया हमें केंचुओं की मदद से कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद देती है। ये "डरावने-रेंगने वाले" जीव सबसे उपयोगी माली हैं। वे मृत पौधों की सामग्री और अन्य जैविक कचरे को विघटित करते हैं, पोषक तत्वों को रिसाइकिल करते हैं और मिट्टी को पलट देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कीड़े भी पुनर्जीवित होते हैं, और उनकी आबादी लगभग दस सप्ताह में कई गुना बढ़ जाती है। खाद तब तैयार होती है जब सामग्री मध्यम रूप से ढीली और भुरभुरी होती है और खाद का रंग गहरा भूरा होता है। यह काला, दानेदार, हल्का वजन और ह्यूमस युक्त होता है।

हाल के दिनों में, सरल उत्पादन तकनीक, पारिस्थितिकी, आर्थिक और इससे जुड़े मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग ने देश में अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। उद्यमियों द्वारा सरकारी सहायता/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन में, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, बड़ी संख्या में वर्मीकम्पोस्टिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार भी स्थानीय लोगों को वर्मीकम्पोस्टिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और किसानों को सब्सिडी दे रही है। हिमाचल राज्य वन विभाग भी इस तकनीक का उपयोग क्षेत्र में वनीकरण गतिविधि के लिए तैयार की जा रही नर्सरियों के लिए खाद उपलब्ध कराने के लिए कर रहा है।

वर्मीकम्पोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो इसके स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकम्पोस्टिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

### कृमि खाद

वर्मीकम्पोस्टिंग प्रक्रिया से हमें कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद मिल जाती है, यह केंचुओं की मदद से होता है। ये "रेंगने वाले" जीव सबसे उपयोगी माली हैं।

वे मृत पौधों की सामग्री और अन्य जैविक अपशिष्टों को विघटित करते हैं, पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं, और मिट्टी को पलट देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कीड़े भी पुनर्जीवित होते हैं और उनकी आबादी लगभग 10 सप्ताह में दोगुनी हो जाती है। खाद तब तैयार होती है जब सामग्री मध्यम रूप से ढीली और भुरभुरी होती है, और खाद का रंग गहरा भूरा होता है। यह काला, दानेदार, हल्का और ह्यूमस युक्त हो जाता है। केंचुओं को दोमट मिट्टी के बिस्तर में डाला जाता है, जिसे कीड़े अपना घर बना लेंगे। लगभग 100 केंचुओं (महामारी और एनीमिक का एक संयोजन) को

लगभग 4 मीटर x 1 मीटर x 0.5 मीटर के खाद गड्ढे में डाला जाना चाहिए, वर्मीबेड को हमेशा नम रखा जाना चाहिए, लेकिन कभी भी पानी नहीं भरना चाहिए।

फिर मुट्ठी भर ताजा गोबर के ढेरों को वर्मीबेड पर बेतरतीब ढंग से रखा जाता है। फिर खाद के गड्ढे को लगभग 50 मिमी तक सूखी पतियों या अधिमानतः कटी हुई घास/भूसे से परतदार बनाया जाता है। अगले 30 दिनों तक गड्ढे को जब भी आवश्यक हो पानी देकर नम रखा जाता है। बिस्तर न तो सूखा होना चाहिए और न ही गीला। पक्षियों को हतोत्साहित करने के लिए गड्ढे को नारियल या ताड़ के पत्तों या पुराने जूट (बोरे) से ढक दिया जा सकता है। बिस्तर पर प्लास्टिक की चादरें रखने से बचना चाहिए क्योंकि वे गर्मी को रोकती हैं।

पहले 30 दिनों के बाद, जैसा कि ऊपर बताया गया है, रसोई या होटल या छात्रावास या खेत से पशु और/या पौधे की उत्पत्ति का गीला जैविक अपशिष्ट जो पहले से पच चुका है, उसे लगभग 50 मिमी की मोटाई में इस पर फैला दिया जाता है। इसे सप्ताह में दो बार दोहराया जा सकता है। इन सभी जैविक अपशिष्टों को समय-समय पर कुदाल या कुदाल से पलटा या मिलाया जा सकता है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस वर्मीबेड में कीड़े रहते हैं, उसे परेशान न किया जाए। जब तक खाद का गड्ढा लगभग भर न जाए, तब तक उसमें कचरा डालते रहें। गड्ढे को अगले 30 से 45 दिनों तक नमीदार रखना जारी रखें, कीड़ों को चोट पहुँचाने से बचने के लिए गड्ढे में सामग्री को सावधानी से पलटते रहें। कांटेदार कुदाल की मदद से हर पांचवें या सातवें दिन पलटा जा सकता है।

केंचुओं के पालन/उपयोग के माध्यम से खाद का उत्पादन वर्मिन कम्पोस्टिंग तकनीक कहलाता है। इस तकनीक के तहत केंचुए बायोमास खाते हैं और इसे पचाकर बाहर निकाल देते हैं जिसे वर्मी कम्पोस्टिंग या वर्मिन कम्पोस्ट कहते हैं। यह छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए खाद बनाने का सबसे सरल और लागत प्रभावी तरीका है। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि पर स्थापित की जा सकती है जिसका कोई आर्थिक उपयोग न हो लेकिन छायादार और पानी के ठहराव से मुक्त हो। साइट जल संसाधन के नज़दीक भी होनी चाहिए

वर्मिकंपोस्टिंग, जिसे सही मायने में “कचरे से सोना” कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन में प्रमुख इनपुट है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मिकंपोस्टिंग उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाता है; मिट्टी की उत्पादकता जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मी कम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है

## 2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

|                                  |    |                                                                    |
|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| एसएचजी/सीआईजी नाम                | :: | विष्णु                                                             |
| वीएफडीएस                         | :: | रामनी                                                              |
| श्रेणी                           | :: | भाभा नगर                                                           |
| विभाजन                           | :: | किन्नौर                                                            |
| गाँव                             | :: | भाभा नगर                                                           |
| अवरोध पैदा करना                  | :: | शोल्डू                                                             |
| ज़िला                            | :: | किन्नौर                                                            |
| एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या | :: | 11 (सभी पुरुष)                                                     |
| गठन की तिथि                      | :: | 28-12-2023                                                         |
| बैंक खाता सं.                    | :: | 26110114434                                                        |
| बैंक विवरण                       | :: | राज्य सहकारी बैंक टपरी                                             |
| एसएचजी/सीआईजी मासिक बचत          | :: | 100/- प्रति सदस्य (प्रत्येक माह के 10वें दिन बैठक आयोजित की जाएगी) |
| कुल बचत                          |    |                                                                    |
| कुल अंतर-ऋण                      |    |                                                                    |
| नकद क्रेडिट सीमा                 |    |                                                                    |
| पुनर्भुगतान स्थिति               |    |                                                                    |

### 3. लाभार्थियों का विवरण:

| क्रमांक | नामश्रीमती/कुमारी | पिता/ पति का नाम श्री | आयु | वर्ग          | जारी नहीं  | पद का नाम | आय स्रोत |
|---------|-------------------|-----------------------|-----|---------------|------------|-----------|----------|
| 1.      | श्री सुख लाल      | श्री गुलाब सुख        | 53  | अनुसूचित जाति | 9418517144 | प्रधान    | कृषि     |
| 2.      | श्री मोहन लाल     | श्री प्रभु सुख        | 46  | अनुसूचित जाति | 9419573617 | सचिव      | कृषि     |
| 3.      | श्री मनोज कुमार   | श्री जसवीर सिंह       | 31  | अनुसूचित जाति | 9418364277 | सदस्य     | कृषि     |
| 4.      | श्री जयपाल सिंह   | श्री धर्म सिंह        | 48  | अनुसूचित जाति | 7650843983 | सदस्य     | कृषि     |
| 5.      | श्री अमन दीप      | श्री त्रिलोक चंद      | 25  | अनुसूचित जाति | 9418889896 | सदस्य     | कृषि     |
| 6.      | श्री श्याम नर     | श्री. नरगायाल         | 74  | अनुसूचित जाति | 9418551807 | सदस्य     | कृषि     |
| 7.      | श्री प्रेम लाल    | श्री राम जार          | 54  | अनुसूचित जाति | 7650926041 | सदस्य     | कृषि     |
| 8.      | श्री नरेन सुख     | श्री. कलाम            | 51  | अनुसूचित जाति | 9418554426 | सदस्य     | कृषि     |
| 9.      | श्री अरविंद कुमार | श्री श्याम नर         | 49  | अनुसूचित जाति | 9459983404 | सदस्य     | कृषि     |
| 10.     | श्री मस्तान सिंह  | श्री सनपुर सिंह       | 45  | अनुसूचित जाति | 7650042994 | सदस्य     | कृषि     |
| 11      | श्री सिद्धार्थ    | श्री माल दास          | 25  | अनुसूचित जाति | 8628093530 | सदस्य     | कृषि     |

### 4. गांव का भौगोलिक विवरण

|     |                                                      |    |                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | जिला मुख्यालय से दूरी                                | :: | 33किमी                                                                   |
| 4.2 | मुख्य सड़क से दूरी                                   | :: | 7 किमी                                                                   |
| 4.3 | स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी                        | :: | शोल्तू-7 किमी और भाभा नगर-27 किमी                                        |
| 4.4 | मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी                          |    | भाबानगर-27 किमी, रिकांगपिओ -33 किमी और रामपुर- 70 किमी                   |
| 4.5 | मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी                          |    | रामपुरBsr.76KM भाबानगर- 27 किमी                                          |
| 4.6 | मुख्य शहरों का नाम जहां उत्पाद बेचा/विपणन किया जाएगा | :: | भाबानगर-20 किमी, रिकांगपिओ-33 किमी, कटगांव और रामपुर- 15 किमी और 76 किमी |

## 5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

|     |                                        |    |                                                               |
|-----|----------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| 5.1 | उत्पाद का नाम                          | :: | विष्णु                                                        |
| 5.2 | उत्पाद पहचान की विधि                   | :: | यह गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई है। |
| 5.3 | एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति | :: | हाँ                                                           |

## 6. उत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

| कदम     |    | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्टेप 1 | :: | प्रसंस्करण में अपशिष्टों का संग्रहण, कतरना, धातु, कांच और चीनी मिट्टी की वस्तुओं का यांत्रिक पृथक्करण और जैविक अपशिष्टों का भंडारण शामिल है।                                                                                                                                                                                                         |
| चरण दो  | :: | जैविक कचरे को बीस दिनों तक पूर्व-पाचन के लिए मवेशियों के गोबर के घोल के साथ ढेर करके रखा जाता है। इस प्रक्रिया से सामग्री आंशिक रूप से पच जाती है और केंचुओं के खाने के लिए उपयुक्त हो जाती है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का इस्तेमाल वर्मी-कम्पोस्ट उत्पादन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। |
| चरण-3   | :: | केंचुआ बिस्तर की तैयारी। वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करने के लिए कचरे को डालने के लिए ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी से कीड़े मिट्टी में जा सकेंगे और पानी देते समय सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाएंगे।                                                                                                                     |
| चरण 4   | :: | वर्मी-कम्पोस्ट संग्रह के बाद केंचुओं का संग्रह। पूरी तरह से खाद बनी सामग्री को अलग करने के लिए खाद बनी सामग्री को छानना। आंशिक रूप से खाद बनी सामग्री को फिर से वर्मी-कम्पोस्ट बेड में डाला जाएगा।                                                                                                                                                   |
| चरण-5   | :: | नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को विकसित होने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर भंडारित करें।                                                                                                                                                                                                                                       |

## 7. उत्पादन योजना का विवरण

|     |                                                              |    |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| 7.1 | उत्पादन चक्र (दिनों में)                                     | :: | 90 दिन (एक वर्ष में तीन चक्र) |
| 7.2 | प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति (संख्या)                           | :: | 10                            |
| 7.3 | कच्चे माल का स्रोत                                           | :: | घर से और अपने खेतों से        |
| 7.4 | अन्य संसाधनों का स्रोत                                       | :: | मुक्त बाज़ार                  |
| 7.5 | कच्चा माल - प्रति चक्र आवश्यक मात्रा (किग्रा)<br>प्रति सदस्य | :: | 1800 किलोग्राम प्रति चक्र     |
| 7.6 | प्रति चक्र अपेक्षित उत्पादन (किग्रा) प्रति सदस्य             | :: | 900 किलोग्राम प्रति चक्र      |

## 8. विपणन/बिक्री का विवरण

|     |                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | संभावित बाज़ार स्थान              | :: | हिमाचल प्रदेश वन विभाग.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.2 | इकाई से दूरी                      | :: | स्थानीय बाजार<br>अपने खेत पर उपयोग करें                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.3 | बाज़ार/स्थानों में उत्पाद की मांग | :: | हिमाचल प्रदेश वन विभाग अपनी नर्सरियों के लिए बड़े पैमाने पर वर्मी-कम्पोस्ट खरीद रहा है                                                                                                                                                                             |
| 8.4 | बाजार की पहचान की प्रक्रिया       | :: | पीएमयू हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद के लिए गठजोड़ की सुविधा प्रदान करेगा, जैसा कि 9वीं जीबी बैठक में निर्णय लिया गया था। स्वयं सहायता समूहों और वन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। |
| 8.5 | उत्पाद की विपणन रणनीति            |    | भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों की भी खोज करेंगे।                                                                                                                                     |
| 8.6 | उत्पाद ब्रांडिंग                  |    | सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है                                                                                                   |

|     |               |                  |
|-----|---------------|------------------|
| 8.7 | उत्पाद “नारा” | “प्रकृति अनुकूल” |
|-----|---------------|------------------|

## 9. स्नोट अनललसलस

### ❖ तलकत

- ➔ कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतलवलधल की ऑल रही है
- ➔ प्रत्येक स्वयं सहायतल समूह के सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक मवेशी हैं
- ➔ स्वयं सहायतल समूह के सदस्यों के परिवलर उच्च मूल्य वलली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें पूरे वर्ष कच्चे मल यलनी कृषि जैवलक अपशलष्ट की पर्याप्त उपलब्धतल मिलती है।
- ➔ उनके खेतों पर कच्चा मल आसलनी से उपलब्ध है
- ➔ वलनलर्मलण प्रक्रलया सरल है
- ➔ उचित पैकलंग और परलवहन में आसलनी
- ➔ परिवलर के अन्य सदस्य भी ललभलर्थियों कल सहयलंग करेंगे
- ➔ उत्पाद कल स्वयं-जीवन लंबल है

### ❖ कमजोरी

- ➔ वलनलर्मलण प्रक्रलया/उत्पाद पर तलपमलन, आर्द्रतल, नमी कल प्रभलव।
- ➔ तकनीकी जलनकलरी कल अभलव

### ❖ अवसर

- ➔ जैवलक और प्रलकृतलक खेती के प्रति कलसनों में जलगरूकतल के कलरण वर्मी कम्पोस्ट की मलंग बढ रही है
- ➔ अपने खेत में वर्मी-कम्पोस्ट कल प्रयलंग करने से मृदल स्वलस्थ्य में सुधलर और वृद्धल होगी तथल गुणवत्तलपूर्ण कृषल उपज कल उत्पादन होगल, जिससे बेहतर मूल्य मिलेगल।
- ➔ रसोई से निकलने वलले घरेलू कचरे सहलत जैवलक कचरे कल सर्वलततम उपयलंग
- ➔ एचपी फॉरेस्ट के सलथ वलपणन गठजोड़ की संभलवनल

### ❖ खतरे/जलखलम

- ➔ अत्यधिक मौसम के कलरण उत्पादन चक्र टूटने की संभलवनल
- ➔ प्रतिस्पर्धी बलजलर
- ➔ प्रशलक्षण/क्षमतल नलर्मलण एवं कौशल उन्नयन में भलगीदलरी के प्रति ललभलर्थियों में प्रतिबद्धतल कल स्तर

## 10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

- ➔ उत्पादन -कच्चे माल की खरीद सहित इसका ध्यान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा रखा जाएगा
- ➔ गुणवत्ता आश्वासन -समग्र रूप से
- ➔ सफाई और पैकेजिंग –समग्र रूप से
- ➔ विपणन –समग्र रूप से
- ➔ इकाई की निगरानी -समग्र रूप से

## 11. अर्थशास्त्र का विवरण

(वास्तविक राशि रु. में)

| क्र. सं. | विवरण                                                                | इकाइयों     | मात्रा/संख्या | लागत (रु.) | वर्ष 1        | वर्ष 2   | वर्ष 3   | वर्ष 4   | वर्ष 5   |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| एक।      | पूँजीगत लागत                                                         |             |               |            |               |          |          |          |          |
| ए.1      | गड्ढे और शेड का निर्माण                                              |             |               |            |               |          |          |          |          |
| 1        | शेड सहित निर्माण एवं श्रम लागत<br>(आकार 20 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा) | प्रति सदस्य | 10            | 11000      | 110000        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2        | लोहे के एंगल से कवर शेड का निर्माण                                   | प्रति सदस्य | 10            | 8000       | 80000         |          |          |          |          |
|          | <b>उप-योग (A.1)</b>                                                  |             |               |            | <b>190000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| .2       | यंत्रावली और उपकरण                                                   |             |               |            |               |          |          |          |          |
| 3        | औज़ार, उपकरण, तराजू आदि।                                             | प्रति सदस्य | 10            | 3000       | 30000         | 0        | 0        | 0        | 0        |

|    |                                  |                    |       |           |          |        |        |        |        |
|----|----------------------------------|--------------------|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|
|    | उप-योग (A.2)                     |                    |       |           | 30000    | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | कुल पूंजीगत लागत (ए.1+ए.2)       |                    |       |           | 2,20,000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| बी | आवर्ती लागत                      |                    |       |           |          |        |        |        |        |
| 4  | बीज केंचुआ                       | प्रति<br>किलोग्राम | 28    | 500       | 14000    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5  | घोल/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत | टन                 | 160   | 900       | 144000   | 151200 | 158760 | 166698 | 175032 |
| 6  | श्रम लागत                        | प्रति टन           | 80    | 700       | 56000    | 58800  | 61740  | 64828  | 68068  |
| 7  | पैकिंग सामग्री                   | नहीं।              | 10000 | 2         | 20000    | 21000  | 22050  | 23152  | 24310  |
| 8  | अन्य हैंडलिंग शुल्क              | प्रति टन           | 80    | 150       | 12000    | 12600  | 13230  | 13892  | 14586  |
| सी | अन्य शुल्क                       |                    |       |           |          |        |        |        |        |
| 9  | बीमा                             | एल/एस              |       |           | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | ऋण पर ब्याज                      | प्रतिवर्ष          |       | 2 प्रतिशत | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |

|    |                            |    |    |      |        |        |        |        |        |
|----|----------------------------|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    | कुल आवर्ती लागत            |    |    |      | 246000 | 243600 | 255780 | 268570 |        |
|    | कुल लागत - पूंजी और आवर्ती |    |    |      | 466000 | 243600 | 255780 | 268570 | 281996 |
| डी | वर्मीकम्पोस्टिंग से आय     |    |    |      |        |        |        |        |        |
| 11 | वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री    | टन | 80 | 6000 | 480000 | 514000 | 529200 | 555660 | 583444 |
| 12 | केंचुओं की बिक्री          |    |    |      |        | 14000  | 28000  | 28000  | 28000  |
| 13 | कुल मुनाफा                 |    |    |      | 480000 | 528000 | 557200 | 583660 | 611444 |
| 14 | शुद्ध रिटर्न (डीसी)        |    |    |      | 14000  | 284400 | 301420 | 315090 | 329448 |

**टिप्पणी**—चूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा तथा उनके स्थान पर पहले से ही घोल/गोबर/अपशिष्ट उपलब्ध है और ये सामग्री उनके द्वारा नहीं खरीदी जाएगी, इसलिए, आवर्ती लागत (श्रम लागत, स्लरी/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत) को कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

### आर्थिक विश्लेषण

| विवरण        | वर्ष 1 | वर्ष 2 | वर्ष 3 | वर्ष 4 | वर्ष 5 |  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| पूंजीगत लागत | 220000 | 0      | 0      | 0      | 0      |  |

|                                         |         |        |        |        |        |         |
|-----------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| आवर्ती लागत                             | 246000  | 243600 | 255780 | 268570 | 281996 |         |
| कुल लागत                                | 466000  | 243600 | 255780 | 268570 | 281996 | 1608946 |
| कुल लाभ                                 | 480000  | 528000 | 557200 | 583660 | 611444 | 2760304 |
| शुद्ध लाभ                               | 79000   | 284400 | 301420 | 315090 | 329448 | 1309358 |
| लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत | 1608946 |        |        |        |        |         |
| लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत  | 2760304 |        |        |        |        |         |
| लाभ लागत अनुपात                         | 1.71    |        |        |        |        |         |

शुद्ध लाभ का वितरण-उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार.

## 12. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

- प्रत्येक सदस्य के लिए गड्ढे का आकार 20X4X2 फीट निर्धारित किया गया है।
- वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन की लागत 3.2 रुपये प्रति किलोग्राम आती है
- वर्मी-कम्पोस्ट (कंजरवेटिव साइड) की बिक्री 6 रुपये प्रति किलोग्राम है
- शुद्ध लाभ 2.8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा
- यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 5.4 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 11 सदस्यों द्वारा 80 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन होगा।
- केंचुए की कीमत 500.00 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है
- दूसरे वर्ष के बाद, बिक्री के लिए मिट्टी का अधिशेष उपलब्ध होगा (क्योंकि वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान इसकी मात्रा बढ़ जाएगी)
- वर्मी-कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आईजीए है और इसे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।

## 13. निधि की आवश्यकता:

| क्रम सं. | विवरण                                | कुल राशि (₹.) | परियोजना समर्थन | एसएचजी योगदान |
|----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1        | कुल पूंजी लागत                       | 220000        | 165000          | 55000         |
| 2        | कुल आवर्ती लागत                      | 246000        | 0               | 246000        |
| 3        | प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन | 50000         | 50000           | 0             |
|          | <b>कुल =</b>                         | <b>516000</b> | <b>215000</b>   | <b>301000</b> |

### टिप्पणी-

- पूंजीगत लागत -पूंजीगत लागत का 75% परियोजना के अंतर्गत तथा 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा
- आवर्ती लागत -एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

#### 14. निधि के स्रोत:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परियोजना समर्थन; | <ul style="list-style-type: none"><li>• पूंजीगत लागत का 50% उपयोग किया जाएगा गड्डे का निर्माण (आकार 20 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा)</li><li>• स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी।</li><li>• प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।</li></ul> | गड्डे के निर्माण/गड्डे के लिए सामग्री की खरीद सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी। |
| सएचजी योगदान     | <ul style="list-style-type: none"><li>• पूंजीगत लागत का 50% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा, इसमें शेड/शेड निर्माण की लागत शामिल है।</li><li>• आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी</li></ul>                                                                   |                                                                                                                                 |

#### 15. बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; तथापि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

#### 16. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- ➔ परियोजना अभिविन्यास समूह गठन/पुनर्गठन
- ➔ समूह अवधारणा और प्रबंधन

- ➔ आईजीए का परिचय (सामान्य)
- ➔ विपणन और व्यवसाय योजना विकास
- ➔ बैंक ऋण लिंकेज एवं उद्यम विकास
- ➔ एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा – राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

## 17. निगरानी तंत्र

- ➔ वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और निष्पादन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।
- ➔ स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके

### ग्रुप सदस्यों की तस्वीरें –



मस्तान सिंह



अमन दीप



मनोज कुमार



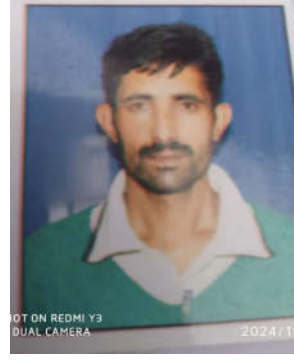
जयपाल सिंह



प्रेम लाल



नरेन सुख



अरविंद कुमार



मोहन लाल



सिद्धार्थ



सुख लाल



श्याम नर

### समूह का सहमती पत्र

आज दिनांक 15-03-2024 विष्णु स्वयं सहायता समूह रामनी में बैठक हुई यह बैठक प्रधान श्री सुख लाल की अध्यक्षता में हुई। आज बैठक में सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया की वे वन जायका विभाग की तरफ से जो धन राशि मिलेगी उसका उपयोग केचुआ खाद बनाने के लिए करेंगे। जिसके लिए सभी सदस्यों ने सहमती प्रकट की है। इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

प्रधान   
विष्णु स्वयं सहायता समूह रामनी,  
गण नर ३ टापरी, जिला किन्नौर हि०प्र०  
समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

सचिव   
विष्णु स्वयं सहायता समूह रामनी,  
उप-तह० टापरी, जिला किन्नौर हि०प्र०  
समूह के सचिव के हस्ताक्षर

**Memorandum of Understanding**

Between

The Ramni Village Forest Development Society/ BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO Kinnaur) for Participatory Forest Management.

Whereas

The Ramni Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No. FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of Ramni village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee in district Kinnaur and Forest Division Kinnaur Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called "EC"),

as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called -Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division

the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;

the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The Ramni Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

**1. Purpose of the Memorandum of Understanding**

This Memorandum of Understanding (hereinafter called -Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable distribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2. **Responsibilities of the Society**

- 2.1 With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.
- 2.2 The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.
- 2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.
- 2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards as applicable.
- 2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.
- 2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.
- 2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.
- 2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.
- 2.9 The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.
- 2.10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.
- 2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.
- 2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the

2.13. Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.

2.14. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.15. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.16. The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.

### **3. Responsibilities of the Forest Department**

3.1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee).

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/ converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5. The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6. Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

### **4. Support by the Project**

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

4.2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

- 4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation. Biodiversity conservation etc..will be credited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan) of VFDS/BMC (Sub-Committee). In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.
- 4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.
- 5. Rights and Benefit Sharing**
- 5.1. The Rights of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as heretofore.
- 5.2. The Benefits which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as follows:
- i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, lopping, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;
  - ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;
  - iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;
  - iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;
  - v) after 5 years. the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas;
  - vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.
- provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.
- 5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling, whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,
- 6. Monitoring & Evaluation**
- 6.1 Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.
- 6.2. The EC of VFDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

- 6.3. A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.
- 6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for that activity.
- 6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

**Memorandum of Understanding**

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I Sh. Dharm Singh, President, ..... Ramni ..... Joint VFDS/BMC

(Sub-committee), declare on behalf of the Society, that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MOU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

(Name and Signature of the President)  
On behalf of VFDS/ BMC (Sub-committee)

विकास समिति  
निसर्ग संरक्षण समिति  
जिला किलौर (हिमाचल प्रदेश)-172104

Divisional Forest Officer  
Kinnaur Forest Officer  
On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC(Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

1. Ramesh
2. राजेश
3. रमेश
4. रमेश

1. Sh. Akshay Rana -----, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

Range Forest Officer  
B/Nagar Range  
Bhaba Range  
Distt. Kinnaur (H. P.)

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of Kinnaur Forest Department.

Kinnaur Forest Division  
At R/Peo

**Business Plan Approval by VFDS & DMU**

Vidnu Self help group will undertake the Vermicompost  
As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh  
Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan  
of amount (Rs.) 220,000 has been submitted by this group on dated \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ and this business plan has been approved by Ramni VFDS Business  
Plan with SHG resolutions being submitted to DMU through FTU for further action, please.

Thankyou

Signature of VFDS Pradhan

नारायण ग्राम वन विकास समिति रामनी  
जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)-172104

Signature of VFDS Secretary

नारायण ग्राम वन विकास समिति रामनी  
जिला किन्नौर (हिमाचल प्रदेश)-172104

Signature of Forest Guard

Signature of Block forest officer

Signature of Range Forest officer  
Bhabanagar Range  
Distt. Kinnaur (H. P.)

Approved

DMU -cum-  
Deputy conservator forests,  
Kinnaur Division at R/Peo

**Resolution –cum-group consensus form**

It is decided in the general house meeting of the Self Help Group.....Viphny..... Held on .....at..... that our self help group will undertake the Vermicompost.....as livelihood income generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted.)

प्रधान   
विष्णु स्वयं सहायता समूह रामनी,  
उप-तहसील दापरी, जिला किन्नौर हि०प्र०  
Signature of Group Pradhan

सचिव   
विष्णु स्वयं सहायता समूह रामनी,  
उप-तहसील दापरी, जिला किन्नौर हि०प्र०  
Signature of Group Secretary